न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजगामी सम्पति (विनिमय) प्रार्थना पत्र संख्या 50/2008

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर। .....अपीलान्ट

बनाम

1. हितबद्ध विधिक उत्तराधिकारी मृतक खातेदार श्री धीरा वल्द मोटा कौम रावत निवासी ग्राम कानस तहसील व जिला–अजमेर। ..... रेस्पोडेन्ट्स

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4,6, 8 राजस्थान राजगामित्व सम्पति अधिनियम 1956
(THE RAJASTHAN ESCHEATS REGULATION ACT,1956)

उपस्थित :– श्री शुभकरण सिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 20.07.2017

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कानस तहसील व जिला अजमेर की वर्किंग जमाबन्दी के खाता नं0 01 के खसरा नं0 875 रकबा 01–09–10 किस्म आबी–1 गै0मु0बदर संख्या 14 एवं खसरा नं0 876 रकबा 00–00–10 किस्म चाह बदर संख्या 15 कुल किता 2 रकबा 01–10–00 कृषि भूमि के रेकार्डेड खातेदार श्री धीरा वल्द मोटा कौम रावत साकिन देह नाऔलाद फौत हो चुका है। गॉव के मोतबीरान व्यक्तियों व वर्तमान ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों से जानकारी करने पर उक्त खातेदार धीरा वल्द मोटा का कोई निकटतम हितबद्ध विधिक वारिस नहीं होने से उसके द्वारा छोडी गई कृषि भूमि की देखरेख, जोत करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा है। जिसकी समुचित व्यवस्था एवं देखरेख मौके पर विधिवत रूप से डूंडी पिटवाकर आमजन को सूचित कर राजहित में मौके पर कब्जा प्रार्थी द्वारा लिया जा चुका है। प्रश्नगत कृषि भूमि की प्रचलित दर (डी.एल.सी.) 90,000/– रूपये प्रति बीघा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम आदेश हेतु प्रकरण न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अजमेर को प्रेषित करने की इस्तदुआ के इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान राजगामित्व सम्पति (विनिमय) अधिनियम 1956 की धारा 6(1) (b) सपठित राजस्थान राजगामित्व सम्पति नियम 5 के तहत अधिसूचना जारी कर तहसील, अजमेर, उपतहसील पुष्कर, थानाधिकारी पुष्कर, ग्राम कानस के सार्वजनिक स्थान एवं पंचायत भवन एवं आस पास के क्षैत्र में नोटिस की चस्पानगी करवाई गई। ग्राम कानस के व्यक्तियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र, 80 सीपीसी नोटिस की अप्रमाणित छाया प्रति जिस पर ग्राम कानस के 45 व्यक्तियों का नाम अंकित है, तथा अनुज माथुर एडवोकेट के द्वारा जारी है को संलग्न करते हुए दिनांक 31.7.2008 को पेश कर अधिग्रहण से पूर्व उनको अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किये जाने के निवेदन का प्रस्तुत किया गया। किन्तु पर्याप्त अवसर मिलने पर भी कथित हितबद्धधारियों की ओर से कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई एवं ना ही दौराने सुनवाई उपस्थित आये। पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर अप्रार्थी हितबद्धधारियों को रूक–रूक कर आवाजें लगवाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आने पर उपस्थित राजकीय अभिभाषक को सुना गया।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का कानस एवं भूअभिलेख निरीक्षक कडैल द्वारा प्रार्थी भूमिधारक के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सूचित किया कि ग्राम कानस के खाता संख्या 01 की आराजी खसरा नं0 875 रकबा 01–09–10 किस्म आबी–1 गै0मु0 बदर संख्या 14 के अनुसार एवं खसरा नं0 876 रकबा 00–00–10 किस्म चाह बदर संख्या 15 कुल किता 2 रकबा 01–10–00 बीघा कृषि भूमि के रेकार्डेड खातेदार

20/07/17
जिला कलक्टर
अजमेर

श्री धीरा वल्द मोटा कौम रावत साकिन देह नाऔलाद फोत हो चुका है। गॉव के मोतबीरान व्यक्तियों व वर्तमान ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों से जानकारी अनुसार खातेदार धीरा वल्द मोटा रावत का कोई निकटतम, हितबद्ध विधिक वारिस नहीं है। मृतक खातेदार द्वारा छोडी गई कृषि भूमि की देखरेख, जोत करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होने से प्रश्नगत भूमि की समुचित व्यवस्था एवं देख रेख हेतु मौके पर विधिवत रूप से डूंडी पिटवाकर आमजन को सूचित कर कब्जा राजहित में लिया गया। प्रश्नगत भूमि की प्रचलित बाजार दर(डी.एल. सी) 90,000/– रूपये प्रति बीघा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत कृषि भूमि को प्रार्थी भूमिधारक के नाम राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करने के अन्तिम आदेश हेतु प्रकरण न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अजमेर को प्रेषित करावें।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रिपोर्ट आदि का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कानस की प्रश्नगत आराजी के खातेदार धीरा वल्द मोटा रावत नाऔलाद फौत हो चुका है। मृतक खातेदार के निकटतम हितबद्ध विधिक वारिसान/उत्तराधिकारी भी प्रकट नहीं है। प्रश्नगत आराजी को राजस्व रेकार्ड में सिवाय चक दर्ज करवाने के समूचित आधार पत्रावली पर उपलब्ध है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रावधान अनुसार प्रकरण अन्तिम निर्णय हेतु माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अजमेर को अग्रेषित किया जाता है।।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.07..2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/07/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर